

न्यायालय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-

विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act], सीतामढ़ी।


विचारण संख्या- 276/2017, सी0आई0एस0 संख्या- 49/2018

पृष्ठ सं० 13

लगातार


25.03.2026 सजा के बिन्दू पर सुना, पहली गलती है। पड़ोसी है। वर्तमान में अच्छा सम्बंध है। अतः डाट फटकार कर पुनरावृत्ति की ताकिद के साथ धारा-3, परिविक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए अभियुक्त नरेश यादव एवं सुनैना देवी को मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्व से उनमुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धिकृत एवं
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजीव कुमार-III)

प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-
विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act],
सीतामढ़ी।

दिनांक-25.03.2026


(राजीव कुमार-III)

प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-
विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act],
सीतामढ़ी।

दिनांक-25.03.2026